

प्रपत्र- 23.3

परियोजना का नाम:- नगाण गांव से कुर्सिल मोटर मार्ग का निर्माण ।

:: जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र ::

जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित विकास खण्ड नौगांव के अन्तर्गत परियोजना के निर्माण हेतु 1.129 है० वन भूमि पी०एम०जी०एस०वाई प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु जिलाधिकारी/ अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति बड़कोट तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये है। वन अधिकार अधिनियम-2006 के तहत व संलग्न आख्या के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिगृहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

जिलाधिकारी,  
उत्तरकाशी।

दिनांक: ०१/०५/२०१९

परियोजना का नाम- नगावगाँव से कुर्दिल मोड़ मार्ग का निर्माण

कार्यालय उप जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी  
 अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के सहित  
 प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति वडकोट

उपखण्ड वडकोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत नगावगाँव से कुर्दिल मोड़ मार्ग (हे० आरक्षित वन भूमि 0.513 हे० सहित एवं सोयम वन भूमि हे० वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 1.129 हे० वन भूमि) का वन अधिग्रहण प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील वडकोट) की दिनांक 21/08/2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री. यममूर्ति भादव उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- |    |                                |                           |                            |         |
|----|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------|
| 1- | श्री. देवमूर्ति भादव           | उप जिलाधिकारी             | वडकोट                      | अध्यक्ष |
| 2- | श्री. जी. पी. सिंह             | उप प्रभागीय वनाधिकारी     | वडकोट                      | सदस्य   |
| 3- | श्री. राजेन्द्र प्रताप श्रेष्ठ | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | जोधावा                     | सचिव    |
| 4- | श्री. मती बिलाली देवी          | बी०डी०सी० क्षेत्र         | कुर्दिल / नगावगाँव क्षेत्र | सदस्य   |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

नगावगाँव से कुर्दिल मोड़ मार्ग का निर्माण परियोजना हेतु 1.129 हे० वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी वडकोट द्वारा अनुसूचित एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

प्रत्येक सर्वसम्मति से उपखण्ड वडकोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत नगावगाँव से कुर्दिल मोड़ मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (0.5134.616) 1.129 वन भूमि ए.जी.एस.ए. प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर परिवर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी अध्यक्ष  
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
 तहसील- उप जिलाधिकारी  
 जनपद- बड़कोट, उत्तरकाशी

प्रतीति:- जिलाधिकारी उत्तरकाशी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी अध्यक्ष  
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
 तहसील- उप जिलाधिकारी  
 जनपद- बड़कोट, उत्तरकाशी

परियोजना का नाम- नगागौव से प्रपत्र-23 कुर्दिल मोटर मार्ग का निर्माण

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र  
ग्राम पंचायत का नाम- नगागौव, (टी.पी.ए.ब), कुर्दिल  
तहसील बड़नूर जिला उत्तरांचल

जिला उत्तरांचल में नगागौव से कुर्दिल परियोजना के निर्माण हेतु ( 5.13 हे० आरक्षित वन भूमि 2.616 हे० सिविल सोयम भूमि 1.129 हे०) अर्थात् कुल 1.129 हे० वन भूमि का पी.एम.जी.एल.पी.ए.पुराणा विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत नगागौव, सुक, रमकल, कुर्दिल द्वारा दिनांक 21.08.19 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम नगागौव, सुक, रमकल, कुर्दिल के ग्रामवासियों के उक्त वन भूमि नगागौव, सुक, रमकल, कुर्दिल प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

HO/- [Signature]  
ग्राम सचिव

हस्ताक्षर  
ग्रामसंप्रधक



नोट- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।  
उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

आम दिनांक 21/06/2014 को ग्राम सभा नगाणगाँव, स्थानव, सुकण, कुर्सि एवं गौल जी एक बैठक आयोजित। बुलायी गई जिसमें वन अधिग्राह अधिनियम-2006 के प्रावधानों के तहत आवेदन वनभूभाग में आदिवासी/वनवासी की कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है।  
बैठक में निम्नानुसार ग्रामवासी उपस्थित थे।

क्र.सं.	ग्राम सभा बैठक में उपस्थित ग्रामवासियों के नाम	दस्तावेज
1.	श्री चव्वासेह (ग्राम प्रधान सुकण)	दस्तावेज
2.	" कुत्मी राम (क्षेत्र पंचायत नगाणगाँव)	आदाली देवी
3.	" राजेन्द्रसिंह (नगाणगाँव चव्वा)	शक्ति देवी
4.	" रजनी देवि पूर्व क्षेत्र पंच कुर्सि	शक्ति देवी
5.	श्रीमती गोकुली देवी (ग्राम प्रधान कुर्सि)	गोकुली देवी
6.	श्रीमती बें बें ली देवी (क्षेत्र पंचायत गौल)	श्रीमती देवी
7.	श.म.रा.ज.सिंह ग्राम कुर्सि	श.म.रा.ज.सिंह
8.	श्रीमती पालासिंह पूर्व प्रधान (स्थानव)	श्रीमती देवी
9.	" श.ग.वा.न.सिंह पूर्व प्रधान -	
10.	श.व.ज.वी.सिंह कुर्सि	श.व.ज.वी.सिंह
11.	" श.व.सी.प्रसाद गौल	श.व.सी.प्रसाद
12.	श्रीमती देवि ग्राम कुर्सि	श्रीमती देवी
13.	" ज.व.दी.व.सिंह " " "	ज.व.दी.व.सिंह
14.	" श.व.ज.वी.सिंह पूर्व प्रधान कुर्सि	श.व.ज.वी.सिंह
15.	विशाल सिंह नगाण गाँव	विशाल सिंह
16.	सुतादेवा साहू	सुतादेवा साहू
17.	सुमित ज.व.सी. (न.श.भ.व.ता) पी.एन.जी.एस.वा.ई.पुरीला	सुमित देवी
18.	श्रीमती शैलकुली देवी (मलख/कुर्सि क्षेत्र)	श्रीमती देवी
19.	जी.पी.सिंह स.व.क.क. ग्राम सुकण वनभूभाग	जी.पी.सिंह

Form-1  
(For linear project)  
Government of Uttarakhand  
Office of the District Collector-Uttarkashi

No.....

Dated.....

**To whomsoever it may concern**

In compliance of the ministry of the environment and forests(MOEF),Government of india's letter no 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> august 2009wher in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006('FRA' for short )on the forest land proposed to be diverted for non- forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain be relaxation in respect of linear project ,it is certified that 1.129 hect. Of forest land proposed to be diverted in favour of P.M.G.S.Y.I.D. Purola (user agency)for Nagan Guan to Kural Motor Road.....(purpose for diversion of forest land) in Uttarkashi district falls within jurisdiction of Nagan Guan, Guan, Sulkan.....villager(s) in Bakot.....tehsils. Sylab, Kural

It is further certified that:

- a) The complete process for identification and settlement of rights under FRA, has been carried out for the entire 1.129.....hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest rights committee(s), Gram Sabha(s) Sub-Division level Committee(s) and the District level Committee are enclosed as annexure 23..to annexure 23..5
- b) The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- c) The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl.: -as above.



Signature

(full name and official seal of the district collector)

ANNEXURE....

**OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE  
DISTRICT -Uttarkashi (U.K.)**

**Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.**

A meeting of the district level committee of Uttarkashi district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. C. Ravishankar I.A.S District Magistrate Uttarkashi on date 12-12-14 at time 2:00 P.M. at Uttarkashi in which application claiming rights in forest land area measuring 1.129 hect for the construction of Nagangaon to Kursil motor road (10.375 Km) of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Barkot sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

**Place; Uttarkashi.**

**Dated: 12.12.14**



**C.Ravishankar  
District Magistrate-cum-chairman  
District level Committee  
Uttarkashi**